संख्या– 1460 / 15–7–2007–16(59) / 08

प्रेषक,

ममता श्रीवास्तव
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा अनुभाग–7 लखनऊ दिनांक 16 जून 2008

विषय–हेम विद्या निकेतन, खैर, अलीगढ को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण– पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुऐ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0सी0,नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नही है:–

(1) विघालय की पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(2) विघालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(3) विघालय की कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/ जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विघालयों में विभिन्न कक्षाओं कें लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विघालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद सें मान्यता प्राप्त है तथा विघालय से सम्बद्वता केंन्दीय माध्यमिक शिक्षा परिषद /कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परिक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों से सम्बद्वता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।

(5) संस्था के शैक्षिक एंव शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा भत्ते नही दिये जायेगें।

Hem Vidya Niketan
Chairman

Scanned with OKEN Scanner

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगीं और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विघालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।

(7) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें, संस्था उनका पालन करेगी।

(8) विघालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(9) उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के विना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिबर्द्वन नही किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा प्रतिबन्धों का पालन नही किया रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(ममता श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या–1460 (1)/15–7–2007,तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
(2) मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,आगरा।
(3) जिला विघालय निरीक्षक,अलीगढ़।
(4) निरीक्षक,आंग्ल भारतीय विघालय उ0प्र0 लखनऊ।
(5) प्रवन्धक, हेम विद्या निकेतन, खैर, अलीगढ़।
(6) गार्ड बुक।

आज्ञा से

(ममता श्रीवास्तव)
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner